

2025/7/3

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

कमांक / रीडर / 2025 / 4130

दिनांक 05/12/2025

उपवानी प्रकरण बनाम् भूमिधारी तहसीलदार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट, 1956

मुकदमा संख्या - 300/2025

:- दुरुस्ती का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश :-

उपर्युक्त विषयानुसार लेख है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 14/भूअ./2025 दिनांक 05/10/2025 के द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा -136 के अन्तर्गत भिजवाये गये राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर पटवारी हल्का श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के नूमे खाता संख्या 3511 में खातेदार राजेश कुमार के स्थान पर श्रीमाधोपुर पटवारी हल्का का नाम दुरुस्त किये जाने के आदेश जारी किये गये है। पटवारी हल्का श्रीमाधोपुर उपरोक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती कर पालना रिपोर्ट एक माह में इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

(अनिल कुमार)

उपखण्ड अधिकारी

श्रीमाधोपुर (सीकर)

कमांक / रीडर / 2025 / 4132-32

दिनांक 05/12/2025

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ :-

1. तहसीलदार श्रीमाधोपुर (सीकर) को सूचनार्थ।
2. पटवारी हल्का श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर को पालनार्थ।

(अनिल कुमार)

उपखण्ड अधिकारी

श्रीमाधोपुर (सीकर)



0 मा 1/26
2025/713

उपर क रिपोर्ट मे जांच रिपोर्ट निम्न प्रकार है -

श्रीमानजी पार्थी का ग्राम शिमारला जागीर की जमावंदी के भूमि खाता सं. 354 में रामू पुत्र गौरु अशुद्ध है। जबकि सल्लिग्न दस्तावेज आधार कार्ड, पेन कार्ड, परिवार राशन कार्ड, बैंक पास बुक में पार्थी का नाम - रामलाल पुत्र गौरराम है। अतः श्रीमानजी उक्त दस्तावेज के आधार पर भूमि खाता सं. 354 में पार्थी का नाम रामू पुत्र गौरु के बजाय रामलाल पुत्र गौरराम शुद्ध किया जाना उचित होगा।

रामू पुत्र
9-10-25
1/1/2025

गोबिंद
श्रीमालाजी

कमिष्ठ 14/9-10-25

रिपोर्ट / अभिशंषा तहसीलदार / नायब तहसीलदार

उपरोक्त रिपोर्ट पठवारी व भू.अ.नि. के अंतर्गत निरीक्षण की जा रही है।

तहसीलदार (भ.अ.नि.)
श्रीमधोपुर (सीकर)

320
14-10-25

आदेश
(कैम्प दिनांक मुख्यालय ग्राम पंचायत

पठवारी हलका शिमारला जागीर व भू.अ.नि. वृत्त महरौली की जांच रिपोर्ट एवं तहसीलदार श्रीमधोपुर की अभिशंषा रिपोर्ट के आधार पर ग्राम शिमारला जागीर के खाता सं. 354 में रामू पुत्र गौरु के स्थान पर रामलाल पुत्र गौरराम दस्तावेज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी

पालनार्थ:- तहसीलदार / नायब तहसीलदार.....